झारखण्ड राज्य खाद्य आयोग राँची ।

पुनरीक्षितवाद / अपीलवाद संख्या 33 वर्ष 2023

विविधवाद / प्रथम अपील

अपीलकर्त्ता श्री अनुप श्रीवास्तव
पो०-गम्हरिया, बोल्लायडीह, रोड नं०-09
जिला - सरायकेला-खरसावाँ ।

बनाम

प्रतिवादी जिला आपूर्ति पदाधिकारी,
पश्चिमी सिंहभूम ।

आदेश की तिथि	हस्ताक्षरयुक्त आदेश	कार्यालय अभ्युक्ति

आदेश की तिथि	हस्ताक्षरयुक्त आदेश	कार्यालय अभ्युक्ति
13.7.23	**वाद सं0–33 / 2023** अपीलकर्ता श्री अनुप श्रीवास्तव, पो0–गम्हरिया, बोलायडीह, रोड नं0–09, जिला–सरायकेला–खरसावाँ का अपील आवेदन आयोग को प्राप्त हुआ है। प्राप्त अपील आवेदन में उल्लेख किया गया है कि पूर्व में दिनांक–30.04.2023 को पश्चिमी सिंहभूम के हाटगम्हरिया प्रखण्ड के डुमरिया पंचायत के जन वितरण प्रणाली के दुकानदार डुमरिया महिला मंडल के राशन कार्ड की संख्या / सत्यापन करने का अनुरोध किया गया था। यह भी कि उक्त PDS दुकान के कई लाभुक ऐसे हैं जिनके पास दो–दो राशन कार्ड हैं। साथ ही PDS डीलर द्वारा लाभुकों से पैसे लेकर राशन का वितरण किये जाने का आरोप लगाया गया है। परिवादी का आरोप है कि इस संबंध में उनके द्वारा दिनांक–30.04.2023 को आयोग कार्यालय में शिकायत दर्ज की गई थी जिसे आयोग के पत्रांक–WA / 311 / 2023 दिनांक–02.05.2023 द्वारा DGRO, पश्चिमी सिंहभूम को कार्रवाई हेतु भेजा गया था किन्तु DGRO, पश्चिमी सिंहभूम द्वारा अबतक कोई कार्रवाई नहीं की गई है। मामले को गंभीरता से लेते हुए इस पर आयोग स्तर से सुनवाई किये जाने का निर्णय लिया जाता है। इस हेतु सुनवाई की तिथि दिनांक–20.07.2023 को निर्धारित की जाती है। प्रस्तुत मामले में जिला आपूर्ति पदाधिकारी, पश्चिमी सिंहभूम को प्रतिवादी बनाया जाय। प्राप्त अपील आवेदन की प्रति प्रतिवादी को भेजते हुए उक्त सुनवाई के दौरान शिकायतकर्ता को वीडियो कान्फ्रेंसिंग के माध्यम से एवं जिला आपूर्ति पदाधिकारी, पश्चिमी सिंहभूम को सशरीर आयोग कार्यालय में उपस्थित होकर अपना पक्ष रखने हेतु उभय पक्ष को नोटिस निर्गत करें। दिनांक–20.07.2023 को अपराह्न 12:00 बजे रखें। 13.7.23 **(शबनम परवीन)** सदस्य, झारखण्ड राज्य खाद्य आयोग, राँची। **(हिमांशु शेखर चौधरी)** अध्यक्ष, झारखण्ड राज्य खाद्य आयोग, राँची।	

आदेश की तिथि	हस्ताक्षरयुक्त आदेश	कार्यालय अभ्युक्ति

वाद संख्या–33 / 2023

20.07.2023

अभिलेख उपस्थापित। प्रथम पक्ष की ओर से श्री अनुप श्रीवास्तव, पो0–गम्हरिया, बोलायडीह, रोड नं0–09, जिला सरायकेला–खरसावाँ व्यक्तिगत तौर पर आयोग कार्यालय में उपस्थित रहे। द्वितीय पक्ष की ओर से जिला आपूर्ति पदाधिकारी, पश्चिमी सिंहभूम Telephonic conference के माध्यम से उपस्थित रहे।

जिला आपूर्ति पदाधिकारी, पश्चिमी सिंहभूम का बयान विरोधाभाषी है। अतः आयोग जिला आपूर्ति पदाधिकारी को निर्देश देता है कि दिनांक–24.07.2023 को आयोग कार्यालय में व्यक्तिगत तौर पर सभी सम्बन्धित दस्तावेज के साथ उपस्थित हों। अपीलकर्ता चाहें तो अगली सुनवाई में उपस्थित हो सकते हैं, चाहें तो लिखित रूप में अपना पक्ष आयोग को भेज सकते हैं।

मामले की अगली सुनवाई दिनांक–24.07.2023 को निर्धारित की जाती है। दिनांक–24.07.2023 को रखें।

20.7.23

(शबनम परवीन)
सदस्य,
राज्य खाद्य आयोग, राँची।

(हिमांशु शेखर चौधरी)
अध्यक्ष,
राज्य खाद्य आयोग, राँची।

आदेश की तिथि	हस्ताक्षरयुक्त आदेश	कार्यालय अभ्युक्ति
24-07-2023	**वाद सं0–33 / 2023** अभिलेख उपस्थापित। प्रथम पक्ष की ओर से श्री अनुप श्रीवास्तव, पो0–गम्हरिया, बोलायडीह, रोड नं0–09, जिला–सरायकेला–खरसावाँ उपस्थित। द्वितीय पक्ष की ओर से जिला आपूर्ति पदाधिकारी, पश्चिमी सिंहभूम स्वयं उपस्थित। शिकायतकर्ता ने आयोग को भेजे अपने शिकायत–पत्र में मुलतः दो बिन्दु की शिकायत की है। उनकी पहली शिकायत यह है कि डुमरिया महिला मण्डल की वर्ष 2021 और 2022 में AAY और PH के लाभुकों की सूची में गड़बड़ी है। इनका आरोप है कि बड़ी संख्या में लाभुकों की Double-Double कार्ड पर अनाज का आवंटन डीलर को किया गया है। शिकायतकर्ता ने आयोग को भेजे शिकायत–पत्र में इस बात का भी उल्लेख किया है कि उन्होंने पूर्व में इस संदर्भ में पश्चिमी सिंहभूम के उपायुक्त से भी शिकायत की थी और जांच का आग्रह किया था। शिकायतकर्ता ने की दूसरी शिकायत यह है कि डुमरिया महिला मण्डल द्वारा लाभुकों से अनाज के लिए प्रति कि0ग्राम0 1रू० और 3 कि०ग्रा० नमक पर 10 रू० लिया जा रहा है। शिकायतकर्ता ने अपने शिकायत–पत्र में इस बात का भी उल्लेख किया है कि संबंधित गड़बड़ियों को शिकायतकर्ता द्वारा संचालित youtube channel www.nntnewsjharkhand.com पर भी प्रसारित किया गया है। आयोग मीडिया में प्रसारित और प्रकाशित खबरों का संज्ञान ले सकता है। लेकिन प्रसारित और प्रकाशित खबर की सत्यता की जांच अधिकारियों द्वारा जांच के बाद अधिकारियों के जांच प्रतिवेदन के द्वारा ही प्रमाणित ही किया जा सकता है। गौरतलब है कि शिकायतकर्ता के शिकायत–पत्र के आलोक में सुनवाई में उपस्थित जिला आपूर्ति पदाधिकारी ने शिकायतकर्ता द्वारा दर्ज कराई गई शिकायत पर अनुमण्डल पदाधिकारी, सदर चाईबासा द्वारा की गई जांच प्रतिवेदन की प्रति आयोग को समर्पित की है। जांच प्रतिवेदन में अनुमण्डल पदाधिकारी ने शिकायतकर्ता के दोनों आरोपों पर अपना विस्तृत पक्ष पेश किया है। शिकायतकर्ता की बिन्दु एक की शिकायत जिसमें Duplicate और फर्जी PH और AAY कार्ड के होने की बात लिखी है। अनुमण्डल पदाधिकारी द्वारा पेश किये गये प्रतिवेदन में भी यह माना गया है कि संबंधित PDS की दुकान में कुल PH के 22 और AAY के 10 लाभुकों का नाम मृत्यु / डबल है। मतलब शिकातकर्ता के शिकायत संख्या एक को अनुमण्डल पदाधिकारी ने सही पाया है, लेकिन अनुमण्डल पदाधिकारी ने अपने प्रतिवेदन में इस बात का उल्लेख किया है कि जितना उन 32 कार्ड के विरूद्ध राशन डीलर को जो अनाज उपलब्ध कराया गया है उसका वितरण नहीं किया गया। वो राशन डीलर के स्टॉक में उपलब्ध है। अतः यह प्रमाणित नहीं होता है कि सरकारी राशन की कालाबाजारी की गई हो या उसका दुरूपयोग किया गया हो। शिकायतकर्ता के बिन्दु–2 के शिकायत को अनुमण्डल पदाधिकारी ने जांच प्रतिवेदन में निराधार बताया है। आयोग द्वारा शिकायतकर्ता को अनुमण्डल पदाधिकारी, चाईबासा द्वारा उनके शिकायत के विरूद्ध आयोग को समर्पित जांच प्रतिवेदन की प्रति आयोग की सुनवाई में हाथों–हाथ उपलब्ध कराया जा रहा है। आयोग शिकायतकर्ता से यह आग्रह करता है कि यदि अनुमण्डल पदाधिकारी द्वारा पेश की गई प्रतिवेदन को गलत प्रमाणित करने का कोई साक्ष्य या तथ्य उसने पास हो तो वो आयोग को समर्पित कर सकते हैं। शिकायतकर्ता द्वारा यदि ऐसा किया जाता है तो आयोग इस वाद की नई सिरे से सुनवाई प्रारम्भ कर सकता है। उपरोक्त टिप्पणी के साथ आयोग इस वाद	

आदेश की तिथि	हस्ताक्षरयुक्त आदेश	कार्यालय अभ्युक्ति

वाद संख्या–33 / 2023

31.07.2023

वाद सं0–33 / 2023 की सुनवाई दिनांक–24.07.2023 को आयोग में हुई थी। सुनवाई में शिकायतकर्ता भी व्यक्तिगत रूप से उपस्थित थे। शिकायतकर्ता के आरोपों के विरूद्ध अनुमण्डल पदाधिकारी, चाईबासा द्वारा समर्पित जाँच प्रतिवेदन की प्रति शिकायतकर्ता को हाथों–हाथ उपलब्ध कराया गया था। आयोग ने दिनांक–24.07.2023 के आदेश में इस बात का उल्लेख किय था कि यदि अनुमण्डल पदाधिकारी, चाईबासा द्वारा पेश किये गये जाँच प्रतिवेदन को शिकायतकर्ता ने गलत प्रमाणित करने का साक्ष्य या तथ्य दिया तो मामले की सुनवाई आयोग पुनः प्रारंभ कर सकता है।

गौरतलब है कि दिनांक–28.07.2023 को आयोग के वाट्सएप्प नं0 पर शिकायतकर्ता ने अपना लिखित पक्ष समर्पित किया है, जिसमें उन्होंने अनुमण्डल पदाधिकारी, चाईबासा द्वारा समर्पित प्रतिवेदन पर गंभीर सवाल खड़े किये हैं। अतः आयोग इस वाद की पुनः सुनवाई दिनांक–12.09.2023 को निर्धारित करता है। आयोग शिकायतकर्ता द्वारा दिनांक–28.07.2023 को भेजे गए शिकायत–पत्र की प्रति एवं अनुमण्डल पदाधिकारी, चाईबासा द्वारा पूर्व में समर्पित जाँच प्रतिवेदन की प्रति अपर समाहर्त्ता–सह–जिला शिकायत निवारण पदाधिकारी को भेजते हुए पूरे प्रकरण की जाँच कर एक माह के अन्दर जाँच प्रतिवेदन समर्पित करने का निर्देश देता है।

मामले की अगली सुनवाई दिनांक–12.09.2023 को निर्धारित की जाती है। आदेश की प्रति सभी सम्बन्धित पक्षों को भेजा जाए। दिनांक–12.09.2023 को रखें।

(शबनम परवीन)
सदस्य,
राज्य खाद्य आयोग, राँची।

(हिमांशु शेखर चौधरी)
अध्यक्ष,
राज्य खाद्य आयोग, राँची।

आदेश की तिथि	हस्ताक्षरयुक्त आदेश	कार्यालय अभ्युक्ति
23.08.2023	**वाद संख्या–33 / 2023** दिनांक–11.09.2023 से दिनांक–14.09.2023 तक आयोग का पश्चिमी सिंहभूम, सरायकेला–खरसावाँ एवं पूर्वी सिंहभूम जिलों का भ्रमण कार्यक्रम निर्धारित है। इसके बाद माह सितम्बर, 2023 की अन्य तिथियों में भी अन्य कई जिलों का भ्रमण कार्यक्रम निर्धारित है। सितम्बर माह में निर्धारित क्षेत्र भ्रमण के कारण दिनांक–12.09.2023 के बाद माह सितम्बर में सुनवाई संभव नहीं हो पा रहा है। अतः न्याय में विलंब को टालने के उद्देश्य से इस मामले में सुनवाई की तिथि दिनांक–12.09.2023 के स्थान पर दिनांक–08.09.2023 को अपराह्न 12:00 बजे निर्धारित की जाती है। उभय पक्ष को सूचित करें। दिनांक–08.09.2023 को रखें। **(शबनम परवीन)** सदस्य, झारखण्ड राज्य खाद्य आयोग, राँची। **(हिमांशु शेखर चौधरी)** अध्यक्ष, झारखण्ड राज्य खाद्य आयोग, राँची।	

आदेश की तिथि	हस्ताक्षरयुक्त आदेश	कार्यालय अभ्युक्ति
08-09-2023	**वाद सं0–33 / 2023** अभिलेख उपस्थापित। प्रथम पक्ष की ओर से श्री अनुप श्रीवास्तव, पो0–गम्हरीया, बोलायडीह, रोड नं0–09, जिला– सरायकेला–खरसावाँ उपस्थित। द्वितीय पक्ष की ओर से जिला आपूर्ति पदाधिकारी, पश्चिमी सिंहभूम अनुपस्थित। इस वाद के 31.07.2023 की हुई सुनवाई में आयोग ने अपर समाहर्त्ता–सह–जिला शिकायत निवारण पदाधिकारी, पश्चिमी सिंहभूम को निर्देश दिया था कि वे अपिलकर्ता द्वारा पेश किये गये पक्ष पर विस्तृत जाँच कर प्रतिवेदन आयोग को भेजें लेकिन आयोग के निर्देश के बावजूद आयोग के अभिलेख में अपर समाहर्त्ता–सह–जिला शिकायत निवारण पदधिकारी द्वारा जाँच प्रतिवेदन नहीं भेजा गया। ऐसे में आयोग अपर समाहर्त्ता–सह–जिला शिकायत निवारण पदाधिकारी को निर्देश देता है कि जाँच प्रतिवेदन के साथ पश्चिमी सिंहभूम में आयोग की जन सुनवाई में उपस्थित रहें ताकि अपिलकर्ता की उपस्थिती में इस वाद की सुनवाई की जा सके। मामले की सुनवाई दिनांक–12.09.2023 को पश्चिमी सिंहभूम में निर्धारित की जाती है। **(शबनम परवीन)** सदस्य, राज्य खाद्य आयोग, राँची। **(हिमांशु शेखर चौधरी)** अध्यक्ष, राज्य खाद्य आयोग, राँची।	

आदेश की तिथि	हस्ताक्षरयुक्त आदेश	कार्यालय अभ्युक्ति
12-09-2023	**वाद सं0–33 / 2023** अभिलेख उपस्थापित। प्रथम पक्ष की ओर से श्री अनुप श्रीवास्तव, पो0–गम्हरीया, बोलायडीह, रोड नं0–09, जिला– सरायकेला–खरसावाँ उपस्थित। द्वितीय पक्ष की ओर से जिला आपूर्ति पदाधिकारी एवं अपर समाहर्त्ता–सह–जिला शिकायत निवारण पदाधिकारी, पश्चिमी सिंहभूम सुनवाई में उपस्थित। आयोग के निर्देश के आलोक में अपर समाहर्त्ता–सह–जिला शिकायत निवारण पदाधिकारी, पश्चिमी सिंहभूम ने अपना विस्तृत जांच प्रतिवेदन आयोग को समर्पित किया है। आयोग अपर समाहर्त्ता–सह–जिला शिकायत निवारण पदाधिकारी को निर्देश देता है कि जांच प्रतिवेदन की एक प्रति शिकायतकर्ता को भी उपलब्ध करा दी जाय। आज की सुनवाई में शिकायतकर्ता ने कहा कि उन्हें कुछ वक्त दिया जाय ताकि वो अपर समाहर्त्ता–सह–जिला शिकायत निवारण पदाधिकारी द्वारा पेश किये गये प्रतिवेदन के विरूद्ध अपना पक्ष रख पाएं। आयोग शिकायतकर्ता के आग्रह को स्वीकार करते हुए निर्देश देता है कि दिनांक–03.10.2023 को आयोग में होने वाली सुनवाई में अपना पक्ष रखें। शिकायतकर्ता का पक्ष आने के बाद आयोग इस वाद में अग्रेत्तर आदेश पारित करेगा। मामले की अगली सुनवाई दिनांक–03.10.2023 को निर्धारित की जाती है। आदेश की प्रति उभयपक्ष को भेजें। दिनांक–03.10.2023 को रखें। **(शबनम परवीन)** सदस्य, राज्य खाद्य आयोग, राँची। **(हिमांशु शेखर चौधरी)** अध्यक्ष, राज्य खाद्य आयोग, राँची।	

आदेश की तिथि	हस्ताक्षरयुक्त आदेश	कार्यालय अभ्युक्ति

वाद सं0–33 / 2023

03-10-2023

अभिलेख उपस्थापित। प्रथम पक्ष की ओर से श्री अनुप श्रीवास्तव, पो0–गम्हरीया, बोलायडीह, रोड नं0–09, जिला– सरायकेला–खरसावाँ आयोग कार्यालय में उपस्थित।

दिनांक–12.09.2023 को इस मामले की सुनवाई जिला भ्रमण के दौरान पश्चिमी सिंहभूम में हुई थी, जहाँ अपर समाहर्त्ता–सह–जिला शिकायत निवारण पदाधिकारी, द्वारा पेश किये गये विस्तृत जाँच प्रतिवेदन की एक प्रति शिकायतकर्ता को सुनवाई के दौरान ही हाथों–हाथ उपलब्ध कराई गई थी। शिकायतकर्ता ने अपर समाहर्त्ता–सह–जिला शिकायत निवारण पदाधिकारी द्वारा रखे गये पक्ष के विरूद्ध अपना पक्ष रखने के लिए समय की मांग की थी। आयोग द्वारा शिकायतकर्ता के आग्रह को स्वीकार करते हुए शिकायतकर्ता को अपना पक्ष रखने का समय देते हुए दिनांक–03.10.2023 को सुनवाई की तिथि निर्धारित की गई थी। आयोग के अभिलेख में शिकायतकर्ता द्वारा भेजे गये पक्ष की प्रति जो 27.09.2023 को प्राप्त हुई अभिलेख में मौजूद है। अभिलेख में मौजूद अपीलकर्ता के पक्ष में स्पष्ट रूप से अपने अपत्तियों का उल्लेख नहीं किया गया है। इसलिए आयोग शिकायतकर्ता को निर्देश देता है कि वो स्पष्ट रूप से यह बतायें कि उन्हें किन बिन्दुओं पर स्पष्ट न्याय नहीं मिला है और अधिकारियों ने किन बिन्दुओं की जाँच में लापरवाही बरती है एवं खाद्य सुरक्षा अधिनियम के प्रावधानों का उल्लंघन किया गया है। अपीलकर्ता का विस्तृत पक्ष आने के बाद ही आयोग अपना निर्देश देगा।

(शबनम परवीन)
सदस्य,
राज्य खाद्य आयोग, राँची।

(हिमांशु शेखर चौधरी)
अध्यक्ष,
राज्य खाद्य आयोग, राँची।

आदेश की तिथि	हस्ताक्षरयुक्त आदेश	कार्यालय अभ्युक्ति

वाद संख्या–33 / 2023

31.10.2023

अभिलेख उपस्थापित। प्रथम पक्ष की ओर से श्री अनुप श्रीवास्तव, पो0–गम्हरिया, बोलायडीह, रोड नं0–09, जिला–सरायकेला–खरसावाँ आयोग कार्यालय में उपस्थित। द्वितीय पक्ष की ओर से जिला आपूर्ति पदाधिकारी, पश्चिमी सिंहभूम अनुपस्थित।

पिछले सुनवाई में आयोग ने जिला शिकायत निवारण पदाधिकारी, पश्चिमी सिंहभूम द्वारा आयोग को समर्पित जाँच प्रतिवेदन की एक प्रति जिला भ्रमण के दौरान पश्चिमी सिंहभूम में शिकायतकर्ता को हाथों–हाथ उपलब्ध कराई गई थी। आयोग ने शिकायतकर्ता को जिला शिकायत निवारण पदाधिकारी द्वारा रखे गये पक्ष के विरूद्ध अपना पक्ष रखने को कहा था। आज सुनवाई में उपस्थित शिकायतकर्ता का कहना है कि वे जिला शिकायत निवारण पदाधिकारी द्वारा रखे गये पक्ष से पूर्णतः सहमत हैं एवं उन्होंने इस आशय की लिखित जानकारी भी आयोग को समर्पित कर दी है। आयोग शिकायतकर्ता की सहमति से इस वाद को निष्पादित करता है।

आदेश की प्रति उभयपक्ष को भेजें।

(शबनम परवीन)
सदस्य,
राज्य खाद्य आयोग, राँची।

(हिमांशु शेखर चौधरी)
अध्यक्ष,
राज्य खाद्य आयोग, राँची।